



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 भाद्र, 1945 (श०)

संख्या - 501 राँची, गुरुवार,

24 अगस्त, 2023 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

23 अगस्त, 2023

संख्या-08/न्या०/137/2017/न०वि०आ०/4073-- महामहिम राज्यपाल के अनुमति से झारखण्ड भवन (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम 06, 2012) एवं झारखण्ड भवन (पट्टा, किराया एवं निष्कासन) नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2016 (झारखण्ड अधिनियम 21, 2016) अधिनियमित की गई है।

2. इस क्रम में विधि विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-394 दिनांक-02.02.2021 द्वारा निर्गत परामर्शी पत्र (Crompton Letter), में विभाग को परामर्शित किया गया है कि उक्त मूल अधिनियम एवं संशोधन अधिनियम पर भारत का संविधान के अनुच्छेद 255 के प्रावधान के आलोक में माननीय राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त की जाए।

3. विधि विभाग, झारखण्ड के उपर्युक्त परामर्श के आलोक में उक्त अधिनियमों पर माननीय राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के निमित्त अपेक्षित कार्रवाई की गई परन्तु वांछित अभिलेखों के अभाव में उपर्युक्त अधिनियमों पर माननीय राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करना संभव नहीं है।

इस क्रम में महाधिवक्ता, झारखण्ड के परामर्श के आलोक में झारखण्ड भवन (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 2011 (यथा संशोधित) को प्रतिस्थापित करते हुए नये सिरे से विधेयक प्रारूप तैयार किये जाने हेतु एक समिति का गठन किया जाता है, जिसका स्वरूप निम्नवत होगा:-

i	श्री कमल कुमार श्रीवास्तव, अपर विधि परामर्शी विधि विभाग, झारखण्ड।	अध्यक्ष
ii	महाधिवक्ता, झारखण्ड द्वारा नामित विधि विशेषज्ञ।	सदस्य
iii	श्री गजानन्द राम, नगर निवेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग।	सदस्य सचिव

4. उपर्युक्त समिति द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं का अध्ययन/समीक्षा करते हुए विधेयक प्रारूप तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा:-

- आदर्श किरायेदारी अधिनियम के सभी पहलुओं का अध्ययन करना एवं इसे झारखण्ड राज्य के अनुरूप तैयार करना।
- अन्य राज्यों में इस हेतु लागू अधिनियम/परिनियम का अध्ययन करते हुए प्रस्तावित विधेयक प्रारूप में इसे शामिल करना।
- झारखण्ड भवन (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 2011 और झारखण्ड भवन (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2016 वर्तमान में प्रभावी है, जिसके प्रावधानों के अंतर्गत की गई कार्रवाई की वैधानिकता तथा इस अधिनियम में ऐसे प्रावधान/प्रावधानों जिनका प्रस्तावित विधेयक में भी होना अपेक्षित हो, की समीक्षा करते हुए विधेयक प्रारूप तैयार करना।
- झारखण्ड भवन (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 2011 और झारखण्ड भवन (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2016 के कतिपय प्रावधानों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर है। अतएव प्रस्तावित विधेयक में इस संदर्भ में अध्ययन/समीक्षा करते हुए विधेयक प्रारूप तैयार करना।

-
- (v) झारखण्ड भवन (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 2011 और झारखण्ड भवन (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2016 पर महामहिम राष्ट्रपति की सहमति हेतु विधि विभाग द्वारा परामर्शी पत्र निर्गत किया गया है, उक्त परामर्श के आलोक में विधेयक प्रारूप तैयार करना।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ज्ञानेन्द्र कुमार,
सरकार के अपर सचिव।
